न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 207/18 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2018/00227)

तोफीक खान पुत्र श्री रसीद खान निवासी तवेला थाना निहालगंज जिला धौलपुर।
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 23.7.2018

उपस्थितिः—
1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः 17.4.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 23.7.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त अपील में उल्लेख किया गया है कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध व रिकार्ड के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट ने किसी नए शस्त्र अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन नहीं किया है। वरन पूर्व में उसके पिता के नाम से जो शस्त्र अनुज्ञापत्र है, उसी के स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वन विभाग के जिन नियमों का हवाला देकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया है। वे प्रावधान नए शस्त्र अनुज्ञा पत्रों के आवेदन के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किए बिना अपीलाधीन आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन नहीं किया जिसमें अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र दिए जाने की अभिशंषा की है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अपीलान्ट के पिता को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र के तहत खरीदी गई बन्दूक पिताजी की मृत्यु के बाद वर्ष 2008 से थाने में जमा पड़ी है व खराब हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर भी गौर नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2018 निरस्त कर अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र के स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई।

17.4.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रैस्पोडेन्ट की ओर कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व न तो उनके समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड व रिपोर्ट का भलीभांति अवलोकन किया और न ही इस तथ्य पर गौर किया कि अपीलान्ट की ओर से कोई नया अनुज्ञापत्र नहीं चाहा जाकर उसके पिता के नाम जारी अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट ने स्वयं के नाम स्थानांतरित किए जाने का आवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत हाजा द्वारा पूर्व में भी दो बार जांच हेतु तहत अदालत के लिये आदेश दिनांक 26.8.2016 एवं 16.6.2017 से रिमाण्ड किया गया था। इसके बावजूद जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अदालत हाजा की ओर से दिए गए निर्देशों की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने मृतक पिता के शस्त्र अनुज्ञापत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम स्थानान्तरण कराने हेतु नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र बनवाना चाहा। जिसको तहत अदालत ने दिनांक 13.3.2014 को खारिज कर दिया। इस निर्णय की अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार कर आदेश दिनांक 26.8.2016 से प्रकरण रिमाण्ड किया गया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुनः आदेश दिनांक 8.2.2017 से पूर्व आदेश को यथावत रखते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट के द्वारा पुनः न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई। इस अपील को भी न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार कर पुनः आदेश दिनांक 16.6.2017 से प्रकरण जांच हेतु रिमाण्ड किया गया। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.7.2018 को पारित किया। जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि.शा.) व उपवन संरक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट को आधार मानकर नया अनुज्ञापत्र नहीं दिए जाने का निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा नए अनुज्ञापत्र नहीं चाहा जाकर उसके पिता के नाम जारी अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को पिता की मृत्यु के बाद स्थानांतरित करवाए जाने का आवेदन किया गया है। अपीलान्ट का आवेदन वर्ष 2009 से लम्बित है। नए नियम 2012 में आए हैं। इसलिए अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र का निर्णय नए नियमों के तहत नहीं कर पुराने नियमों के तहत किया जाना आवश्यक था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा नए नियमों के तहत अपीलान्ट के अनुज्ञापत्रों को निस्तारित किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट को अनुज्ञापत्र जारी किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा स्पष्ट अनुशंषा की गई है, इसके बाबजूद भी जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि.शा.) जोन भरतपुर व उपवन संरक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को ही आधार माना है, जो कि उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.07.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र के स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

17.4.2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.07.2018 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 27.11.2018 को विलम्ब से अपील पेश किए जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को तय किए जाना आवश्यक है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उल्लेख किया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.07.2018 की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अभिभाषक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। दिनांक 05.11.2018 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आने पर अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जिसकी नकल हेतु आवेदन किए जाने पर नकल प्राप्त होने के अन्दर मियाद उक्त अपील पेश की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब ही पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक 05.11.2018 से पूर्व में रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरक के सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किए जाने से बचना चाहिए। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.07.2018 अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 16.06.2017 की पालना में पारित किया गया है। उक्त निर्णय अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 20/17 जो कि जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 08.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, में पारित किया गया है। निर्णय दिनांक 16.06.2017 में यह मानते हुए कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीदार धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया। जिसमें अपीलान्ट के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की सिफारिश की गई है। आदेश में इन दोनों रिपोर्ट को न मानने का कोई कारण नहीं दिया है। सीआईडी भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2016 व वन संरक्षक की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2016 में अपीलान्ट को अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। इस आधार पर निर्णय दिनांक 08.02.2017 को न्यायसंगत नहीं मानकर निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः गुणावगुण के आधार पर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय किए जाने हेतु रिमाण्ड किया गया था। उक्त निर्णय की पालना में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पुनः रिपोर्ट चाही गई। जिसमें पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पत्र कमांक 2439 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा आवेदक श्री तौफीक खान पुत्र स्वर्गीय श्री रशीद खान निवासी तवेला थाना निहालगंज जिला धौलपुर के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को स्थानानंतरण किए जाने की अनुशंषा की गई। इसी प्रकार जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने आरमोरर पुलिस लाइन धौलपुर को आवेदक तौफीक खान को शस्त्र प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र दिनांक 10.05.2018 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में आरमोरर पुलिस लाइन धौलपुर की ओर से दिनांक 24.05.2018 को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी कर प्रेषित किया। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.07.2018 में पुलिस अधीक्षक धौलपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि.शा.) भरतपुर व उपवन संरक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए यह माना है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिसके आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि.शा.) जोन भरतपुर एवं उपवन संरक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट को अस्वीकृत किया जावे। इसी प्रकार गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 15.07.2016 के नियम 13 में वर्णित प्रावधान का उल्लेख कर उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण नहीं किए जाने की रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि.शा.) व उपवन संरक्षक धौलपुर की ओर से अभिशंषा नहीं किए जाने व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 35 (2) का उल्लेख कर अपीलान्ट को नए आर्म्स अनुज्ञा पत्र जारी किए जाना उचित नहीं मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो कि अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 16.06.2017 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय में तहसीलदार धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को नहीं मानने का कोई कारण अपने आदेश में नहीं दिया है और न ही सीआईडी (वि.शा.) भरतपुर व उपवन संरक्षक धौलपुर से नए सिरे से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। क्योंकि पूर्व की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2016 व 14.10.2016 में अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया गया था। इसके अलावा यह भी सही है कि अपीलान्ट की ओर से अपने मृतक पिता के नाम जारी अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को स्वयं के नाम स्थानानंतरित करवाए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को वर्ष 2009 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। समस्त वारिसान का सहमति पत्र भी अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2017 में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.07.2018 उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 निरस्त किया

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनाक 16.06.2017 मे वर्णित बिन्दुओ के बारे मे पुन: जाच करने, पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनाक 14.09.2017 से सहमत/असहमत होने के बारे मे स्पष्ट अभिमत देने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि.शा.) भरतपुर व उपवन सरक्षक धौलपुर से नए सिरे से रिपोर्ट प्राप्त करने एव उत्तराधिकार के आधार पर अनुज्ञापत्र जारी किए जाने के सबध मे राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशो के तहत प्रकरण का परीक्षण कर पुन: नए सिरे से आदेश जारी करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनाक 17.4.2023 को सरे इजलास खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सॉवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर